Witness No..01..., for..............अभियोजन साक्ष्य .... Deposition taken on the ......20.02.2026.......day of ..., Witness's apparent age –...54.......– years– States on affirmation....शपथपूर्वक..., My name is..तपनराव..............

Son/Wife of....मधुसुधन राव....... , Occupation....लीगर फोरमेन.............

Address–.......पोस्ट माच्छगन, थाना बालीगोडा, उडीसा, वर्तमान एचएलवी राजहरा ....

आ०प्र०क्र० 2116/2025
शासन विरुद्ध विनय कुमार वगैरह
<u>साक्ष्य समय–02.13 बजे से</u>

<u>मुख्य परीक्षण राज्य द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी</u>

01. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपीगण एवं न्यायालय अनुपस्थित मोहन गुप्ता को पहचानता हूं ।

02. घटना पीछले वर्ष 02.04.2025 की है । मैं घटना स्थल एचएलवी में नीचे काम कर रहा था और मृतक श्रवण कुमार दूसरे फ्लोर पर काम कर रहा था । श्रवण कुमार ने सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ था जब वह दूसरे फ्लोर से गिर तब वह प्रथम मंजिल में सेफ्टी बेल्ट का हुक बीम में फंस गया जिससे वह झुलने लगा उसके बाद हम लोगो ने उसके बेल्ट को खोलकर नीचे बैठाया और पानी पिलाया वह उस समय होश में था उसके बाद उसे एंबुलेंस में लेकर गये । मुझे अगले दिवस पता चला कि अस्पताल में श्रवण कुमार की मृत्यु हो गयी है । इसके अतिरिक्त मुझे और कोई जानकारी नहीं है ।

03. साक्षी को धारा 179 की नोटिस प्रपी 1, नजरी नक्शा प्रपी 2, पंचनामा प्रपी 3 के क्रमशः अ से अ भाग पर हस्ताक्षर दिखाकर पुछे जाने पर साक्षी ने अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । पुलिस वालो ने मुझे नोटिस नहीं दिया था और न ही मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किये थे । मेरे समक्ष पंचनामा की कार्यवाही हुआ था । मैंने घटना के संबंध में पुलिस वालो को बयान दिया था ।

<u>टीप– इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी, विचारोपरांत अनुमति प्रदान की गयी ।</u>

04. साक्षी को पुलिस बयान प्रपी 04 के अ से अ भाग "मैं उपरोक्त पते......................मेरा कथन है।" का कथन पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा कथन पुलिस को देना व्यक्त किया । यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने मुझे धारा 179 बीएनएसएस की नोटिस दिया था । यह कहना सही है कि, पुलिस वालो ने मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था । यह कहना सही है कि, पुलिस द्वारा सेकण्ड फ्लोर में टाई बीम में सेफ्टी बेल्ट लगाने को कोई जगह नहीं है जिसके संबंध में पुलिस वालो ने मेरे समक्ष पंचनामा बनाया था ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सत्येन्द्र महोदव अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

5. मैं कक्षा चौथी पांचवी तक पढा हूं । मेरी शिक्षा दिक्षा उडिसा में हुई है । मुझे हिन्दी पढना नहीं आता है । मैं हिन्दी मे हस्ताक्षर नहीं कर पाता हूं । यह कहना सही है कि हमारा काम के पहले ट्रेनिंग होती है । यह कहना सही है कि, मृतक की भी ट्रेनिंग होती थी । यह कहना सही है कि, सेफ्टी बेल्ट सेफ्टी के प्रयोजन से उपलबद्ध कराया जाता है ।

साक्ष्य समय–02.34 बजे तक ।

वाचित सही स्वीकृत | मेरे निर्देशन पर टंकित।

गवाह के हस्ताक्षर

SHRADHA SINGH SHRIVASTAVA
Digitally signed by SHRADHA SINGH SHRIVASTAVA

(श्रीमती श्रद्धा सिंह श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दल्लीराजहरा(छ.ग.)

SHRADHA SINGH SHRIVASTAVA
Digitally signed by SHRADHA SINGH SHRIVASTAVA

(श्रीमती श्रद्धा सिंह श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दल्लीराजहरा(छ.ग.)